न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
राजस्व वाद सख्या–32/2015

श्रीमती नजरकंवर पत्नी स्वींगय श्री रतनसिंह तातेड निवासिनी मसूदा जिला अजमेर

....वादी

बनाम

1. श्री शेरू पुत्र श्री प्यार मोहम्मद जाति मुसलमान
2. श्रीकमल पुत्र श्रीरतनलाल जाति खटीक
   निवासियान –मसूदा जिला अजमेर (राज0)
3. श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति मेहरात निवासी–ग्राम धोलादांता तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज0)

....प्रतिवादीगण

4. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार, मसूदा
5. सार्वजनिक निर्माण विभाग, मसूदा जरिये कनिष्ठ अभियन्ता मसूदा बिजयनगर

प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 15.12.2016

वादिया ने इस वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा मसूदा द्वितीय तहसील मसूदा जिला अजमेर में उसकी खातेदारी की भूमि ख0 न0 3021/5 स्थित है इसी से लगायत सरकारी PWD की भूमि ख0 न0 3110/1 व 3110/2 स्थित है जो मसूदा से बांदनवाड़ा रोड़ से लगायत है और मसूदा की आबादी के नजदीक ही स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व उनके साथियों ने बदनियतिवश ख0 न0 3110/1 व 3110/2 की आराजी पर जबरन कब्जा कर कार तामीरात करने की नियत से दिनांक 15/16.02.2015 को मौके पर पत्थर डलवा दिये है जिस बाबत उन्हे उपखण्ड अधिकारी महोदय मसूदा द्वारा थानाधिकारी मसूदा द्वारा प्ररस्तुत इस्तागासे पर पाबंद किया हुआ है। बावजूद इसके उन्होंने दिनांक 28/29.03.2015 को सरकारी अवकाश दिवस जे सी बी न0 RJ 36 ई.ए. 0086 विवादित भूमि के मोके पर लेकर आये और नीव खोदना प्रारंम्भ कर दिया तब वादिया के पुत्र ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी तथा पटवारी हल्का को फोन पर सुचित किया तब जाकर पटवारी ने दिनांक 29.03.2015 को कार्य बंद करवा दिया। लेकिन प्रतिवादीगण ने वादिया को एलानिया धमकी दी है कि वह मौका पाकर यहां पर कारतामीरात एवं दुकाने बना कर रहेगे। वादिया के खेत ख0 न0 3021/5 पर आने जाने का एक मात्र मार्ग ख0 न0 3110/1 व 3110/2 की आराजी से होकर ही है। यदि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर कब्जा करने में सफल रहे तो वादिया की भूमि की कीमत कम हो जावेगी तथा वह अपने खेत पर जाने के रास्ते से मंहरूम हो जावेगी। इसलिए वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी न0 3110/1 व 3110/2 की आराजी पर किसी प्रकार के निर्माण करने एवं दीगर व्यक्तियों से करवाने से निषेध किया जावे यदि दोराने वाद प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर किसी प्रकार से कब्जा कर लेवे तो प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम करवाई जावे। तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

वाद दायर कर प्रतिवादी 1 से 5 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बावजूद तामीली के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 2 को प्रयाप्त अवसर देने पर भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने से उसके जवाब हक बंद किये गये। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व वादी ने कार्यवाही ड्रोप करवा दी है। तथा प्रतिवादी संख्या 4 कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते। अतः

बहस विद्वान अभिभाषकगण वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 सुनी गई। बहस में वादी अभिभाषक ने वाद कथन ही दोहराये वही वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने वाद कथन से इन्कारी की और कथन किये कि उसने कहीं कोई अतिक्रमण नहीं किया है वाद खारिज किया जावे।

मैने बहस के परिपेक्ष में पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम मसूदा द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 287 में आराजी ख0 न0 3021/5 रक्बा 2–05–15 बीघा वादिया की खातेदारी की चाही भूमि है तथा खाता संख्या 926 में ख0 न0 3110/1 रक्बा 8–19–10 पी0 डब्लू0 डी0 के खाते दर्ज है और ख0 न0 3110/2 रक्बा 15 बिस्वा किस्म पहाडियां एवं पर्वत से खाता संख्या 1 राजस्थान सरकार के खाते दर्ज है लेकिन नक्शे अनुसार ख0 न0 3110 का एक ही चक है दोनों खसरा नम्बर की पृथक पृथक तरमीम नहीं की हुई है। जो वादिया की खातेदारी की भूमि ख0 न0 3021/5 मसूदा से बांदनवाड़ा बिजयनगर रोड स्थित है ख0 न0 3110 जो पी0डब्ल0डी0 की भूमि है यह वादिया सहित आम लोगों के सुखाचार की भूमि है और इसी सुखाचार पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 अतिक्रमण करना चाहते है ऐसी स्थिति में वादिया का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 को छोड़कर शेष प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा मौजा मसूदा द्वितीय स्थित आराजी ख0 न0 3110/1 व 3110/2 की आराजी पर अतिक्रमण कर किसी भी प्रकार के कारतामीरात आदि करने एवं किसी दीगर व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कब्जा करवाए जाने से निषेध किया जाता है। वाद खर्च पक्षकरान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.19 16:40:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: